इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 मार्च 2023—चैत्र 8, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (03).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिनियम के अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 43(ख) के अंतर्गत निष्पादित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कोलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधंन तथा शर्तें) नियम, 1998 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधंन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अधीन भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए सृजित बंधक की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में कमी करती है तथा इसे ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम के 0.125 प्रतिशत के बराबर तय करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (03), दिनांक 29 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 29th March 2023

No. F B-04-07-2018-02-V (03).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) sub section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, reduces stamp duty chargeable on the instruments under article 43(b) of Schedule 1A of the Act, of mortgage created for development of or construction on land, executed in favour of a local body, under Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of colonizer, terms and conditions) Rules, 1998 and the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Registration of colonizer, terms and conditions) Rules, 1999, and makes it equal to 0.125 percent of the amount secured by such deed.

2. This notification shall come into force from 01st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.